

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० 111/विविध/मुरैना/भू०रा०/2017/2402

वासुदेव पुत्र मटरेलाल शर्मा आवेदक  
वि. जेबराखेडा तहसील जिला मुरैना  
बनाम

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक  
द्वारा आज दि 28/11/17 को  
प्रस्तुत

  
महोदय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1-औमप्रकाश
- 2-शान्तीदेवी पत्नी मटरेलाल जाति  
ब्राह्मण निवासी ग्राम जेबराखेडा  
तह० व जिला मुरैना
- 3-नरेशचन्द गुप्ता तहसीलदार  
महोदय मुरैना
- 4-म०प्र० शासन


.....अनावेदक

### आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 29 म०प्र०भू०रा० संहिता

श्रीमान जी

आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है-

- 1- यह कि ग्राम जेबराखेडा तह० मुरैना के कृषि भूमि सर्वे क० 275/2 रकवा 0.060 है० सर्वे क० 276 रकवा 0.220 है०, सर्वे क० 400/2 रकवा 0.160 है०, सर्वे क० 401/2 रकवा 0.080 है०, सर्वे क० 408/1 रकवा 0.290 है० कुल कित्ता 5 रकवा 0.810 है० के आवेदक व अनावेदक सह स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।
- 2- यह कि अनावेदक के द्वारा उपरोक्त भूमियों के बटबारा हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्र०क० 03/16-17xअ/27 पर पंजीबद्ध किया जाकर विचाराधीन है।
- 3- यह कि प्रकरण में प्रस्तुत फर्द बटबारा पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जो दिनांक 19/07/2017 को निरस्त कर प्रकरण तर्क हेतु दिनांक 27/07/2017 को नियत कर दिया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जो विचाराधीन है।
- 4- यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/07/2017 को प्रकरण साक्ष्य लिये जाने हेतु एक आवेदन आ०16 नि०1 जा०दी० व धारा 32 म०प्र०भू०रा० संहिता का प्रस्तुत किया तथा साथ ही अभिभाषक पत्र श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार महोदय द्वारा अभिलेख पर नहीं लिया और प्रकरण बिना तर्क श्रवण किये आदेश हेतु पेशी दिनांक 28/07/2017 नियत कर दी गई है।
- 5- यह कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि अभिभाषक पत्र अभिलेख पर लिया जावे तथा प्रकरण में आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये जाये और आवेदन पर आदेश हेतु नियत किया जावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा पुनः आदेश कर प्रकरण आवेदन



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक III/विद्यमान/मुरैना/भू0रा0/2017/2402

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२-8-2017	<p>आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं सहपत्रों पर विचार किया। आवेदक द्वारा प्रकरण को अंतरित किये जाने हेतु इस न्यायालय में संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जबकि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 29(2) के अन्तर्गत अंतरण आवेदन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अंतरण आवेदन निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> (एस0एस0 अली) सदस्य</p>	